

अंतिम आदेश पारित दिनांक:- / /2024

1	2	3
	<p>- प्रकरण पेश।</p> <p>- प्रकरण का अवलोकन किया।</p> <p>- प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक..... पिता/ पति..... जाति..... निवासी ग्राम..... तहसील..... जिला..... के द्वारा आवेदन पत्र पेश का मांग किया है कि मौजा..... पहन..... रानिम..... स्थित भूमि खसरा न..... रकबा क्रमशः..... हे. खातेदार/भूमिस्वामी.....के नाम से दर्ज है। भूमिस्वामी/खातेदार..... की मृत्यु दिनांक..... मृत्यु प्रमाण पत्र पंजीयन क्र..... को हो जाने के कारण उक्त भूमि पर फौती नामांतरण हेतु आवेदन प्राप्त है। आवेदन पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, खसरा, बी-1 की नकल प्रस्तुत किया है।</p> <p>- प्रकरण विधिवत मद अ -6 में पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में इश्तेहार तामिली उपरांत नियत समय सीमा में कोई दावा आपत्ति प्राप्त नहीं।</p> <p>- प्रकरण में हल्का पटवारी से विधिक वारसानो सम्बन्धी प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। पटवारी ने अपने प्रतिवेदन में यह प्रतिवेदित किया है कि मौजा..... में स्थित भूमि ख.न..... रकबा क्रमशः हे. भूमि आवेदक के पिता/पति.....के नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज चली आ रही है। जिसकी मृत्यु दिनांक.....को हो चुकी है। मृतक के विधिक वारसानो में है।</p> <p>- प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों, धारक के मृत्यु प्रमाण पत्र, हल्का पटवारी के प्रतिवेदन का अधोपांत अवलोकन किया। अतः, म.प्र.भू.रा.स. 1959 की धारा 109/110 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मौजा..... स्थित भूमि ख.न..... रकबा क्रमशः हे भूमि से मृतक भूमिस्वामी/सहखातेदार का नाम विलोपित कर उसके विधिक वारसान का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जाता है। हल्का पटवारी प्रतिवेदन एवं पंचनामा इस आदेश का अंग होगा।</p> <p>- हल्का पटवारी आदेशानुसार रिकॉर्ड दुरुस्त कर एक प्रति प्रकरण में संलग्न करे। तत्पश्चात रिकॉर्ड दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;">नायब तहसीलदार</p>	